फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी कोटपूतली

बनाम

बजरंगलाल — सुरेश वगै०

मुकदमा संख्या/वर्ष 159/2025 धा० 107 सपठित R.T. Act. /20

क्रं. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
		अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.11.2025 अर्थी सं. 2 के द्वारा मकान निर्माण तक रोक दिया गया है। तथा शेष उक्त आदेश यथावत एवं प्रभावी रहेगा। शेष में रजिस्टर तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 27/2/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)	
	27/2/26	अधिवक्ता अर्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता अर्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन अधिवक्ता अर्थी या अर्थी कोई भी उपस्थित नहीं आये इसलिए अर्थी का अर्थना-पत्र बिना हाजरी एवं बिना पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो कर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)	